न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्याः– 50/2021

गणपत सिंह पुत्र मूनाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. घीसाराम पुत्र मूनाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर
2. भूमिधारक तहसीलदार तहसील व जिला सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्घोषणा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – वकील वादी– नानूराम बुडानियां

निर्णय

दिनांक : 29.04.2024

वकील वादी ने एक दावा पेश किया जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.19 हैक्ट वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी की खातेदारी 1/18 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी 1/6 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का बड़ा भाई था जो कि मन्दबुद्धि था इसलिए वह अविवाहित ही था जो कि वादी के पास ही रहता था व वादी ही सेवा सुश्रुषा करता था तथा उसके हिस्से की भूमियों पर वादी ही काबिज काश्त होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 31.01.1992 को सुबह वादी का बिना बताए ही घर से निकल गया जिसको वादी ने आस–पास के गावों में काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी पुलिस थाना रघुनाथगढ में दिनांक 02.02.1992 को दर्ज करवाई थी, प्रतिवादी

संख्या 1 को काफी तलाश किया लेकिन आज तक उसका पिछले 29 वर्षों से जिन्दा होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी, उसके जिन्दा होने के बारे में किसी से सुना है, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत उसकी मृत्यु उपधारित कर उसकी खातेदारी की भूमि में उसका नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना आवश्यक है।

उक्त भूमि के अलावा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 140, 141 कुल किता 02 कुल रकबा 0.05 हैक्ट, खसरा नम्बर 134 रकबा 1.15 हैक्ट, खसरा नम्बर 142 रकबा 2.52 हैक्ट जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 1/9 हिस्से का खातेदार था, उक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में एक वाद बउनवानी गणपत सिंह बनाम घीसा दावा संख्या 142/2010 प्रस्तुत किया था, जिसमें वादी के हक में घीसा का नाम तो हजफ किये जाने के आदेश दिया लेकिन साथ ही डीजे कोर्ट से ज्युडिसियल डेथ घोषित करवाने का निर्देश दिया जिसके विरूद्ध वादी ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील संख्या 134/2011 बउनवानी गणपत बनाम घीसा प्रस्तुंत की जिसमें यह निर्णय पारित किया कि उपरोक्त भूमियों में घीसा का नाम हजफ किया जाकर गणतपसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तदननानुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी अमल हो चुका है। लेकिन भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.19 हैक्ट जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 वां हिस्सा है, जिसकी जमाबंदी प्रथक से होने से सहवन से वाद–पत्र में अंकित करने से छूट गई इसलिए माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के तहत उक्त भूमि में से भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी का खातेदार उद्घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद वादी को स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.19 हैक्ट वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि 1/6 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट तहसीलदार कमाक 5049 दिनांक 22.12.2023 प्राप्त। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.19 हैक्ट वाके ग्राम हरदयालपुरा की खातेदारी घीसा पुत्र मूना हिस्सा 1/6 जाति जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। घीसाराम पुत्र मूनाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा मंदबुद्धि व अविवाहित था जो लगभग 32 वर्ष पूर्व बिना बताये घर छोडकर चला गया और लापता हो गया जिसके माता–पिता की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है तथा घीसाराम का इकलौता वारिसदार गणपत सिंह पुत्र मूनाराम ही हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व में भी इन्ही पक्षकारों के मध्य एक वाद बउनवानी गणपत सिंह

बनाम घीसा मुकदमा नम्बर 142/2010 पेश किया गया था जिसमें खसरा नम्बर 140, 141, 134, 142 वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि में खाताधारक घीसाराम का नाम हजफ कर खातेदारी गणपत सिंह को खातेदार काश्तकार उद्घोषित करने के सम्बन्ध में पेश किया गया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा वाद को स्वीकार कर दिनांक 04.7.2011 को निर्णय दिया गया कि घीसाराम की ज्यूडिशियल डेथ घोषित करने के बाद खातेदारी गणपत सिंह के नाम घोषित करने के सम्बन्ध में निर्णय जारी किया गया। वादी द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2017 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 108, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 व लैण्ड रेकार्ड रूल्स नियम 138 का हवाला देकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 04.07.2011 को खारिज कर दिया गया खसरा नम्बर 140, 141, 134, 142 वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि से घीसाराम का नाम हजफ कर घीसाराम के वारिस गणपत पुत्र मूना के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दी गई। चुंकि वर्तमान में प्रकरण इन्ही पक्षकारों के मध्य है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में भी माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की गई है।

उपर्युक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.1900 हैक्ट वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला की भूमि के खातेदार घीसाराम पुत्र मूनाराम का नाम हजफ कर उसके हक व हिस्से की भूमि वादी गणपत सिंह पुत्र मूनाराम को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सीकर
(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :– **50/2021**

गणपत सिंह पुत्र मूनाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. घीसाराम पुत्र मूनाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर
2. भूमिधारक तहसीलदार तहसील व जिला सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्घोषणा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – वकील वादी– नानूराम बुडानियां

वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.1900 हैक्ट वाके ग्राम हरयालपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि में से वर्तमान खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर, प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.04.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

प्ररूप संख्यांक (नियम 136)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	14.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	प्लीडर की फीस	36.00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल	12.00	कमिश्नर की फीस	
जोड़	64.00	जोड़	36.00

उपखण्ड अधिकारी सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०)

वक